

फर्ट अहकॉम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

जिखामानाम फुड डेमा राफ नोटा (५) बनाम (१) ताका राफ फुड भोटा राफ नोटा (३)
 जाति खारी नि खनापर माली की जाति खली
 केनी गुडामालानी (५) वडलोवहार गुडामालानी

किसम मुकदमा खसजाव ताक अधि. मुकदमा नम्बर 62/22

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/6/22	<p>प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>बाबू लाल बिश्नेय</u> ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा <u>199</u> राजस्थान कास्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक, <u>15/7/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(पंजी) सहायक कलेक्टर SDO (गुडामालानी)</p>	
15/7/22	<p>पत्रावली काउ जेस इहेन वकील कारीगण उपा वकील कारीगण उपा प्रतिकारीगण के सम्मन सहित डाक द्वारा भेजे का एक नोट भेजे हैं वकील कारीगण के विरोध कि कि प्रतिकारीगण के सम्मन सहित डाक द्वारा भेजे ही नो ईगा। नकल कि कि डाक पत्रावली दि 22/08/22 के पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(पंजी) सहायक कलेक्टर, गुडामालानी</p>	
22/08/22	<p>पत्रावली काउ जेस इहेन वकील कारीगण उपस्थित वकील कारीगण प्रतिकारीगण के सम्मन सहित डाक द्वारा भेजे का एक नोट भेजे हैं वकील कारीगण के विरोध कि कि प्रतिकारीगण के सम्मन सहित डाक द्वारा भेजे ही नो ईगा। नकल कि कि डाक पत्रावली दि 16/09/22 के पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(पंजी) सहायक कलेक्टर, गुडामालानी</p>	<p>379 <u>2/9/22</u></p>

तारीख
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

18/11/24

पत्रावली आज पेश हुई। पक्षुलाय पक्षकारान
उप०। अधिवक्ता वारीगण साक्ष्य हेतु एक
और अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है।
पत्रावली आईन्दा दिनांक 06/12/24 की पेश
है।

मज

06/12/24

पत्रावली आज पेश हुई। पक्षुलाय पक्षकारान
अनुपस्थित। वारीगण स्वयं अनुपस्थित।
वारीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय
में तीन बार तीन-तीन (आपने डिमांड
गई बाकस आपने दिलावे के
वारीगण स्वयं वारीगण के अधिवक्ता के
अनुपस्थित रहने से उमर उन वान
उमर वारीगण की अदम हाजिरी
अदम पेशी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फेसल सुमार डेवर
दाखिल दफतर है।

मज

18/11/24
पक्षुलाय पक्षकारान
अधिवक्ता वारीगण
साक्ष्य हेतु एक
और अवसर चाहते हैं।
अवसर दिया जाता है।
पत्रावली आईन्दा
दिनांक 06/12/24 की
पेश है।